प्रेस नोट **दिनांक 24/07/2026**

उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोन की 74वीं अन्तरजनपदीय हॉकी महिला एवं पुरूष प्रतियोगिता-2026 का पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा किया गया भव्य शुभारम्भ-

आज दिनांक 24.07.2026 को पुलिस लाइन, मऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस वाराणसी जोन की 74वीं अन्तरजनपदीय हॉकी महिला/पुरुष प्रतियोगिता-2026 का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया।

प्रतियोगिता का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश बहादुर मऊ द्वारा किया गया। इस अवसर पर महोदय द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया गया तथा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी गईं।

महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि खेल हमारे जीवन में अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता एवं आपसी समन्वय का विकास करते हैं। पुलिस विभाग में खेलों का विशेष महत्व है, क्योंकि खेल भावना से पुलिसकर्मियों में शारीरिक दक्षता एवं मानसिक दृढ़ता का विकास होता है।

उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों द्वारा मार्च पास्ट/सलामी प्रस्तुत की गई। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश पुलिस वारणसी जोन के विभिन्न जनपदों की महिला एवं पुरुष हॉकी टीमों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों द्वारा उत्कृष्ट खेल भावना एवं अनुशासन का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार व क्षेत्राधिकारीगण, प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण, प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मऊ पुलिस द्वारा सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी गईं।

NCRB द्वारा संचालित नफीस पोर्टल (NAFIS) के माध्यम से थाने द्वारा गिरफ्तार सभी अभियुक्तो व मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्तो के अंगुलि चिह्न व Demographic Data Feeding में मऊ पुलिस प्रथम स्थान आने पर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा किया गया सम्मानित-

◆ पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा नफीस के कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग करते लगातार निर्देशों के फलस्वरूप विगत माह मार्च,अप्रैल तथा मई 2026 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

NCRB द्वारा संचालित नफीस पोर्टल (NAFIS) जनपद मऊ पुलिस थाने द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तो व मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्तो के अंगुलि चिह्न व Demographic Data समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण फीडिंग करने तथा नफीस पोर्टल पर थाने द्वारा भरे गये IIF-3 के सापेक्ष सभी अभियुक्तो की शत्-प्रतिशत फीडिंग की गयी । जिसके फलस्वरुप माह मार्च,अप्रैल तथा मई, 2026 में प्रदेश स्तर पर जारी की गयी रैकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा शाखा नफीस को विगत माह मार्च,अप्रैल तथा मई 2026 में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त होने पर नफीस नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार व नफीस शाखा प्रभारी उ0नि0 श्री साधू शरण सहित नफीस शाखा मे कार्यरत मु0 आरक्षी अखिलेश ,आरक्षी द्विजेन्द्र देव शुक्ल तथा आरक्षी बिनीत कुमार को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया तथा इसप्रकार हर माह IIF-3 के सापेक्ष सभी अभियुक्तो व मा0 न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्तो के अंगुलि चिह्न व Demographic Data थानों से समन्वय स्थापित करते हुए शत्-प्रतिशत फीडिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण एंव क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में दिनांक 24.07.2026 को थाना कोतवालीनगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर रेलवे ग्राउण्ड मऊ से मु0अ0स0 162/26 धारा 137(2), 87, 64(1), बीएनएस व 5एल/6 पाक्सों एक्ट में वाछिंत अभियुक्त सूरज पुत्र कृपाराम निवासी बडहाराबीर दूदही थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सूरज पुत्र कृपाराम निवासी बडहाराबीर दूदही थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 162/26 धारा 137(2), 87, 64(1), बीएनएस व 5एल/6 पाक्सों एक्ट

दुष्कर्म मामले में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार, क्षेत्राधिकारी मु0बाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, के नेतृत्व में दिनांक 24.07.2026 को थाना रानीपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर भवनपुरा गाँव से आने वाली इंटरलॉकिंग सड़क से मु0अ0सं0 93/2026 धारा 69,87,352 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त पवन प्रताप पुत्र शिवकुमार उर्फ भंटू निवासी ग्राम फतेहपुर, थाना रानीपुर, जनपद मऊ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. पवन प्रताप पुत्र शिवकुमार उर्फ भंटू (निवासी ग्राम फतेहपुर, थाना रानीपुर, जनपद मऊ) उम्र करीब 25 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

1. भवनपुरा गाँव से आने वाली इंटरलॉकिंग सड़क, जो चिरैयाकोट मुख्य मार्ग थाना रानीपुर जनपद मऊ समय करीब 11.20 बजे

पंजीकृत मुकदमें का विवरण-

मु0अ0सं0 93/2026 धारा 69,87,352 बीएनएस थाना रानीपुर जनपद मऊ

प्रेस नोट

24/07/2026

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग-अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण –

1. थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगम 1. माधव यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी भीखमपुर थाना रसड़ा, 2. सुभाष चन्द्र पुत्र रुप चन्द्र निवासी बकराबाद निवासी थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन कीमत लगभग 9999/- साइबर पुलिस टीम थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा आज दिनांक 24.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, उत्कर्ष बर्मा पुत्र प्रमोद कुमार वर्मा निवासी प्यारेपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा पुलिस लाइन मऊ में अग्निशमन केंद्र 04 यूनिट (जी+9) के आवासीय व अनावासीय भवनों का निर्माण हेतु किया गया भूमिपूजन -

पुलिस लाइन मऊ परिसर में अग्निशमन केंद्र 04 यूनिट(जी+9) के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु विधि-विधानपूर्वक भूमिपूजन किया गया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंधित अधिकारियों एवं निर्माणदायी संस्था के अधिकारियों को भवन निर्माण कार्य को निर्धारित मानकों एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नवनिर्मित भवनों के निर्माण से पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा अग्निशमन केंद्र के माध्यम से अग्निशमन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री के वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक/अन्य अधिकारीगण सहित पुलिस विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

थाना घोसी साइबर पुलिस द्वारा पीडित की फ्रॉड हुए कुल धनराशि 20,000 -/(बीस हजार) रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी घोसी व प्रभारी निरीक्षक घोसी के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीडित शुभम मोदनवाल पुत्र जवाहर लाल निवासी मदापुर समसपुर की कुल धनराशि 20000/- अंजान व्यकित द्वारा फ्राड कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना घोसी में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 20,000 /- रुपये वापस कराया गया।

"OPERATION CONVICTION" के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर व मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 24.07.2026 को 02 अभियुक्तो को मा0 न्यायालय एएसजे-1 कोर्ट जनपद मऊ द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा, विवरण निम्नवत है:-

थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 194/2013 धारा 307,326,201,304,506 भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1. बृजनाथ विश्वकर्मा पुत्र गनपत विश्वकर्मा, 2. सावित्री देवी पत्नी बृजनाथ विश्वकर्मा निवासीगण बंदीघाट थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को उपरोक्त धारा में 03-03 वर्ष कारावास की सजा व ₹10,000 -10,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।